बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना जिला के ग्राम पंचायत सबलपुर स्थित ग्राम फतेहगंजपुर में शिक्षा विभाग का 69 (उन्नहत्तर) डिसिमल जमीन पर प्राथमिक विद्यालय का एक भवन जिसमें दो कमरा एवं एक बरामदा वर्ष 1980-81 में शिक्षा विभाग द्वारा निर्माण करवाया गया था ।उक्त विद्यालय भवन में वर्षा काल में 04 से 05 फीट पानी भर जाने के कारण पढाई बाधित हो जाती है। कई बार शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय को उत्क्रमित करने हेतु राशि आवंटित किया गया,परंतु वर्तमान प्रधानाध्यापक की शिथिलता के कारण यह संभव नहीं हो सका ।

अत: यथाशीघ्र स्थल जांच कर शिक्षा विभाग के उस गडढानुमा स्थल को भरवाकर प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय एवं 10+2 उच्च विद्यालय निर्माण करवाने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं ।

ह0/- डा. रणवीर नन्दन
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-255/2017-2455(1) दिनांक-22.11.2017

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद्के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-30/11/2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

22/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के शिक्षा विभाग के विशेष निदेशक जो कि राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद के प्रभार में भी हैं, के दो-दो पद पर रहने के कारण राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड का कार्य प्रभावित हो रहा है। राज्य के संस्कृत विद्यालयों की होनेवाली वर्ष 2017 की मध्यमा की परीक्षा आज तक नहीं ली गई है, जिस कारण हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इन संस्कृत विद्यालयों में नियुक्त नियोजित शिक्षकों को माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों के समान सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है। साथ ही राज्य के 531संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के छठे वेतनमान एवं ग्रेड का लाभ तो दिया गया है, परंतु इन्क्रीमेंट नहीं दिया गया है।

अत: संस्कृत विद्यालयों की उक्त बातों पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मॉग करता हूं।

ह0/- संजीव श्याम सिंह
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-254/2017- 2456(1) दिनांक-22/11/17

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-30/11/2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा-22 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्य तथा धारा-47 एवं धारा-73 के अंतर्गत क्रमश: पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 29 विभाग का कार्य करने का आधिकार दिया गया है। लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण अभी तक जन प्रतिनिधियों को बहुत से विभाग का कार्य करने का अधिकार नहीं दिया गया है। पंचायत सचिव का पद काफी रिक्त है जिसके कारण विकास कार्य बाधित हो रहा है। मंहगाई को देखते हुए त्रिस्तरीय जन प्रतिनिधियों को भी वेतन भत्ता बढ़ोत्तरी किया जाय और इन जन प्रतिनिधियों को भी पेंशन दिया जाय।

अत: उक्त महत्वपूर्ण विषय पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- राधा चरण साह
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-252/2017- 2458(1) दिनांक-22/11/17

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ पंचायती राज विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-30/11/2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

22/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

पटना में अवस्थित नवीन पुलिस केन्द्र सहित सूबे के अधिकांश पुलिस लाइनों में मूलभूत सुविधा का घोर अभाव है। यहां सिपाहियों के लिए रहने हेतु बैरक की स्थिति जर्जर है। चारों ओर गंदगी फैली है। पानी की आपूर्ति सही नहीं है। मेस की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ रहने वाले पुलिस कर्मियों का जीवन नारकीय है। पुलिस पदाधिकारियों के लिए भी बहुत से जिला में क्वार्टर नहीं बना है।

अतः मैं सरकार से उक्त स्थिति में वर्णित मामलों पर सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./ दिलीप कुमार जायसवाल
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-257/2017 -2454(1)वि0प0 दिनांक-22/11/2017

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ गृह विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-30/11/2017को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

(हस्ताक्षर) 22/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

गोपालगंज जिला में पंचायत समितियों की बैठकें निर्धारित समयावधि 2 महीने के अंदर नहीं हो रही है और अगर कहीं असमय बैठकें हो भी रही है तो कार्यवाही की प्रति हमें उपलब्ध नहीं कराई जाती है, स्थाई समितियों के गठन की कोई जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं कराई जाती जो कि अत्यंत खेद का विषय है। जिसके फलस्वरूप प्रस्ताव के अभाव में मैं अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में अपने आप को लाचार पा रहा हूं, जबकि मैं पंचायती राज के मतदाताओं से चुना गया प्रतिनिधि हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की आत्मा में समृद्ध ग्राम पंचायत की परिकल्पना थी, जिसमें न कोई पहला व्यक्ति हो न कोई अंतिम व्यक्ति हो सब लोगों की सत्तामें सहभागिता होगी लेकिन गोपालगंज में गांधी जी के सपना का गला घोटा जा रहा है। इसी क्रम में जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रस्ताव के लिए एक पत्र दिनांक-6/5/2017 पत्रांक-265/017 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया कि,वित्तीय वर्ष 2016 -2017 में पंचायती राज से संबंधित गोपालगंज जिला में जितनी बैठकें आयोजित हुई है सभी बैठकों के प्रस्ताव की एक कॉपी उपलब्ध कराई जाय, लेकिन आज तक मात्र 40% प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध कराई जा सकी है। इससे यही साबित होता है कि गोपालगंज जिला में बिना प्रस्ताव की सारी बैठकें अवैध है, और सरकारी दिशा निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। पंचायती व्यवस्था आम जनता का सदन है और बिना प्रस्ताव के सारी प्रक्रिया गलत है।

अत: मैं उपरोक्त तथ्यों पर सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- आदित्य नारायण पाण्डेय
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-253/2017- 2457(1) दिनांक- 22/11/2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद्के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/पंचायती राज विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-30/11/2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

20/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

समस्तीपुर जिला के आर.एस.बी. इंटर विद्यालय, समस्तीपुर के गर्ल्स रूम में विगत कई वर्षों से शिक्षक नियोजन का कार्य चल रहा है। इस विद्यालय में वर्ग नवम से 12वीं तक सह शिक्षा चल रहा है। छात्राओं की संख्या अत्यधिक रहने के कारण उन्हें काफी कठिनाई हो रही है। छात्राओं द्वारा पूर्व में उक्त कमरा खाली करवाने के वास्ते सामूहिक रूप से आवेदन दिया गया था, जिसे प्रबंध कारिणी समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित करवाकर कमरा खाली करवाने के वास्ते विभाग को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, परन्तु आज तक कमरा खाली नहीं किया गया है। विद्यालय का कमरा संख्या-4 को भी शिक्षा विभाग द्वारा कई वर्षों से ताला लगाकर रखा गया है उसे भी खाली करवाने की आवश्यकता है।

अत: ऊपर वर्णित दोनों कमरों को खाली कराने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- हरिनारायण चौधरी
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-266/2017-2468(1) दिनांक-23.11.2017

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद्के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-30/11/2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

23/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वर्तमान परिप्रेक्ष में राज्य में समान शिक्षा नीति लागू नहीं है और इसके परिणाम बिहार बोर्ड से पढाई करने वाले होनहार छात्र,नीट,आई.आई.टी. आदि सी.बी.एस.ई.द्वारा आयोजित की जानेवाली इन परीक्षाओं में पिछड़ रहे हैं। आज सी.बी.एस.ई. और राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम में काफी असमानता है। सी.बी.एस.ई. द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं और केन्द्र सरकार के अन्य उपक्रमों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के पाठयक्रम सी.बी.एस.ई. के पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं, लेकिन राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम सी.बी.एस.ई. के पाठ्यक्रम से अलग है।

अत: उक्त स्थिति में बोर्ड के पाठ्यक्रमों में समानता लाने के लिए समान शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/-प्रो. नवल किशोर यादव
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-256/2017- 2459(1) दिनांक-22/11/17

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद्के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-30/11/2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

20/11/2017
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।